न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **05/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/17

1. श्रीमती मोहनकुंवर पत्नी मदनसिंह राजपूत निवासी धोरा जावड तहसील घासा।

............प्रार्थीया

बनाम्

1. श्री अर्जुनसिंह पिता खुमसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी जावड तहसील घासा।
2. श्री उदयसिंह पिता खुमसिंह राजपूत निवासी कुरडा वाडा वावडी जावड तहसील घासा।
3. श्री खुबीलाल पिता उदयलाल जैन निवासी सेमल तहसील नाथद्वारा।
4. श्री गजेन्द्र कुमार पिता भेरूलाल जैन निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
5. श्री चन्दनसिंह पिता केसरसिंह राजपूत निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
6. श्री दीपेश पिता भेरूलाल जैन निवासी गुडला तहसील नाथद्वारा।
7. श्री प्रभुलाल पिता नाथुलाल गुर्जर निवासी गामरियो तहसील नाथद्वारा।
8. श्री लालसिंह पिता खुमसिंह राजपूत निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा।
9. श्री हरीसिंह पिता रायसिंह राजपूत निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा। मृतक

9/1 श्री सज्जनसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी कुरडा तहसील घासा।

9/2 श्री कुबेरसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी कुरडा तहसील घासा।

9/3 श्री भानसिंह पिता हरीसिंह राजपूत निवासी कुरडा तहसील घासा।

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
11. पटवारी, पटवार हल्का जावड तहसील घासा।

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीया।

2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2, 6, 8, 9/1 से 9/3
3. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता विपक्षी सं. 4
4. श्री सन्तोष गाडरी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 25.02.2025

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] ग्राम [illegible] वाडा वावडी पटवार हल्का जावड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

तहसील घासा की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 5779/128 रकबा 2.1000 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम पर स्वतन्त्र गैरखातेदारी हक से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 144 रकबा 3.0028 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 9 के नाम पर संयुक्त हक से अंकित हैं। उक्त वर्णित मुझ प्रार्थीयां की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते अर्थात आराजी नम्बर 205 किस्म सड़क के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की परिशिष्ट (ब) में अंकित आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग की भूमि पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो परिशिष्ट (अ) में अंकित आराजी की दक्षिणी दिशा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर मैं प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन हमारी परिशिष्ट (अ) में अंकित कृषि भूमि पर आते जाते रहकर उपयोग उपभोग करते आये हैं तथा आवश्यकतानुसार इसी रास्ते से होकर ट्रेक्टर एवं अन्य वाहन, संसाधन हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आये हैं। इसके अलावा मुझ प्रार्थीयां की उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई मार्ग नही रहा हैं।

2. यहकि मुझ प्रार्थीयां के पास परिशिष्ट (अ) में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये परिशिष्ट (ब) में अंकित कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है परन्तु उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते को वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 9 एक-दूसरे की मदद कर अनाधिकार रूप से जोर जबरदस्ती अपनी जमीन में मिलाकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर उतारू हो रहे है तथा इसी उद्देश्य से रास्ते पर जबरन अवरोध उत्पन्न करते हुए मुझ प्रार्थीयां को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीन में आने-जाने से भी रोक दिया हैं और समझाने पर भी नहीं मान रहे है। विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा मुझ प्रार्थीयां को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्रार्थीयां अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रही हूँ और न ही अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रही हूँ जिससे मुझ प्रार्थीयां को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। वर्तमान में मुझ प्रार्थीयां की उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा उत्तर दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 9 की आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग की भूमि पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो आराजी नम्बर 5779/128 की दक्षिणी सीमा के सटमा है और उक्त रास्ते से होकर ही मैं प्रार्थीयां व मेरे परिवारजन हमारी कृषि भूमि पर [illegible] करते रहे है तथा इसी रास्ते से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

सुगमता पूर्वक मैं प्रार्थीयां अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकती हूँ। इसके अलावा मुझ प्रार्थीयां की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मुझ प्रार्थीयां ने विपक्षी संख्या 1 से 9 को आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर बने रास्ते से मुझ प्रार्थीयां को मेरी जमीन पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में रूकावट उत्पन्न नहीं करने हेतु समझाईश की किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 9 एवं इनके सहयोगीयों ने उक्त रास्ते से मुझ प्रार्थीयां को आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और मेरे एवं मेरे परिवारजनों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मुझ प्रार्थीयां की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 9 की खातेदारी की आराजी जिसका परिशिष्ट (ब) में वर्णन किया है उसमें बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौडाई का अर्थात 15 फीट चौडा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थीयां अदा/जमा कराने को तैयार हैं।

3. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। क्योंकि मेरी कृषि भूमि में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 9 की आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर ही बना हुआ है जिससे होकर ही में व मेरे परिवारजन हमारी कृषि भूमि पर आते–जाते रहे। लेकिन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा उक्त रास्ते पर अवरोध उत्पन्न कर मुझको एवं मेरे परिवारजनों को आने–जाने से रोक देने से एवं मेरी कृषि भूमि में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में मैं प्रार्थीयां व मेरे परिवारजन हमारी जमीन में जाकर खेतो की साफ सफाई, बाड वगैरा भी नहीं करवा पा रहे है। ऐसी अवस्था में मुझ प्रार्थीयां की कृषि भूमि तक पहुँचने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 9 की आराजी में विधिक रूप से मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी संख्या [illegible] की आराजी भूमि में मार्ग कायम करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

इसलिये भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 9 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते एवं मेरी कृषि भूमि के एकदम मध्य (सटमा) और निकट हैं। उपरोक्तानुसार विधिक रूप से मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 9 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नही होगी बल्कि विधिक रूप से मार्ग कायम नही करने से मैं प्रार्थीयां मेरी कृषि भूमि में आवागमन नही कर सकूंगी और सदैव के लिये मेरी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाऊगीं और व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ जावेगी जिससे मुझ प्रार्थीयां को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नही होगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित भी होगा। सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में हैं।

4. यहकि मुझ प्रार्थीयां को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15–01–2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 9 ने अपने सहयोगियों की मदद से आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर स्थित रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर मुझ प्रार्थीयां व मेरे परिवारजनों को आवागमन करने से रोक दिया और समझाईश करने पर भी नही माने और हमारे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जायें कि प्रार्थना पत्र की के परिशिष्ट (अ) में अंकित आराजी पर पहुँचने तक के लिए परिशिष्ट (ब) में अंकित विपक्षी संख्या 1 से 9 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर 15 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त कृषि भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 10, 11 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु प्रार्थीयां को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 9 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 9 आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर स्थित उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीयां व उसके परिवारजनों को उसकी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थीयां व उसके परिवारजनों को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग क[illegible] हाके नही, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

6. प्रार्थीया द्वारा स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर का स्थगन आदेश पारित फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 9 आराजी नम्बर 144 के मध्य भू भाग पर स्थित उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीया व उसके परिवारजनों को उसकी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज, आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, प्रार्थीया व उसके परिवारजनों को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हांके नहीं, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर, चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 4, 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। विपक्षी सं. 1, 2, 8, 9/1 से 9/3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है एवं आज भी मौके पर है विपक्षीगण ही विवादित आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। शुरू से ही जमीन विपक्षीगण के पॉवर व पजेशन में है तथा उस जमीन में जाने का विपक्षीगण का निजी रास्ता हैं। विपक्षीगण ने कभी कोई रास्ता अवरूद्व नहीं किया। प्रार्थीया का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नही है एवं ना ही प्रार्थीया विवादित आराजी पर काबिज है एवं ना ही विपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीया का रास्ता ही रोका है। यहां यह विधित रहे कि प्रार्थीया का जब शुरू से लेकर आज तक कभी कोई विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है उपयोग उपभोग प्रार्थीया ने कभी विवादित आराजी का नहीं किया तो रास्ता रोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शुरू से लेकर आज तक विवादित आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा बदस्तुर बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है उसका उपयोग उपभोग विपक्षीगण ही कर रहे है आज भी मौके पर काबिज हैं। प्रार्थीया का जब जमीन पर कब्जा ही नहीं है तो खातेदारी अंकित होना तो कोशो दूर हैं। विपक्षीगण ने दिनांक 15.01.2024 को किसी भी तरह का कोई आवागमन अवरूद्व नहीं किया है यहां यह विधित रहे कि प्रार्थीया का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा रहा ही नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

8. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा बाप दादाओ के समय से चला आ रहा है आज भी मौके पर है तथा विपक्षीगण ही जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीया का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नहीं है येन केन प्रकारेण प्रार्थीया विपक्षीगण की जमीन में घुस कर अपना कब्जा लेना चाहती है जो कि कानूनन गलत हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जा कर जवाब में अंकित तथ्यों एवं विशेष कथन के तथ्यों को मदेनजर रखते हुए प्रार्थीया का दावा/प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज कराये जाने का आदेश फरमावें।

9. स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है एवं आज भी मौके पर है विपक्षीगण ही विवादित आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा दिनांक 20.09.2023 को मौका पर्चा रिपोर्ट मंगाई गयी उसमें भी कब्जा विपक्षीगण का ही दर्शाया गया हैं। इसकी सम्बन्धित रिपोर्ट पटवार हल्का जावड द्वारा आराजी संख्या 128 की बनाई गयी जो मंगवाई जावें। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन का रिकार्ड पर लिया जा कर तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए व विशेष कथन के तथ्यों को देखते हुए प्रार्थीया का स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज कराये जाने का आदेश फरमावें।

10. विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का अप्रार्थी की भूमि से किसी तरह का कभी भी कोई आन जान नहीं रहा है। प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तथा प्रार्थीया उसी रास्ते से ही प्रारंभ से ही आ जा सकती है। प्रार्थीया के पास चूंकि पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थीया अब कानूनन कोई अन्य रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि खसरा नंबर 144 में सुरक्षा की दृष्टि से तारबंदी कर रखी है तथा उसके मध्य में से अथवा किसी भी भाग से कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, ना ही पूर्व मे ही कभी कोई रास्ता रहा है। वास्तविकता में भी प्रार्थीया की भूमि में आन जान प्रारंभ से ही उत्तरी दिशा से ही चला आ रहा है। जब भूमि खसरा नंबर 144 में कोई रास्ता ही नहीं है तो वाहन या अन्य कोई संसाधन लाने व ले जाने का भी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तविकता मे प्रार्थीया को उक्त भूमि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है जो प्रार्थीया के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज चला आ रहा है तथा उसका आज दिवस तक मौके पर किसी तरह का कोई कब्जा ही नहीं है। इस [illegible] आने जाने के कथन स्वयमेव ही गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

एवं झूठे प्रमाणित हो जाते है। प्रार्थीया के पास जब पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उत्तर दिशा में विद्यमान चला आ रहा है तथा प्रार्थीया उत्तर दिशा से ही आ जा सकती है तथा अपने वाहन व संसाधन ला व ले जा सकती है। जब उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता ही नहीं है तो तथाकथित किसी अनाधिकार रूप से या जोर जबरदस्ती से रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कोई रास्ता नहीं रोका गया है, ना ही उसकी कोई संभावना ही है। प्रार्थीया का ना तो कोई रास्ता अवरूद्ध हुआ है, ना ही कोई आन जान बंद या बाधित हुआ है। वास्तविकता में किसी तरह का कोई आन जान ही नहीं है। प्रार्थीया अपनी भूमि में अपने वैकल्पिक रास्ते से ही आ जा सकती है तथा उसमे किसी तरह की कोई कमी या न्यूनता नहीं आई है, ना ही प्रार्थीया को कोई आर्थिक क्षति ही उठानी पड रही है। प्रार्थीया बार बार काल्पनिक रूप से रास्ता होना बतलाते हुए उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहती है। जबकि कानूनन भी प्रार्थीया को उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि से कोई रास्ता नहीं दिलाया जा सकता है, ना ही ऐसा किया जाना न्यायोचित ही है। इसके अतिरिक्त भी चूंकि प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तो कानूनन भी उसे कोई अन्य रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नहीं रह जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी में समय समय पर अथक मेहनत, परिश्रम, समय एवं धनराशि व्यय कर उक्त आराजियात में काफी विकास एवं विस्तार के कार्य करवाये है तथा उसमें से कंकर पत्थर आदि निकालकर समतल करवाया तथा उसमें उच्च किस्म के खाद बीज इत्यादि डलवाये। उत्तरकर्ता अप्रार्थी के प्रयासों की वजह से उक्त आराजी काफी अधिक कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लगातार चली आ रही महंगाई की वजह से भी उक्त आराजी काफी अधिक कीमती हो चुकी है। प्रार्थीया को तथाकथित रूप से अनावश्यक होने के बावजूद रास्ता दिलाया जाता है तो उत्तरकर्ता अप्रार्थी अपने हक हिस्से की आराजी से ही वंचित हो जायेगा तथा उसके पास उक्त आराजी ही नहीं रह जायेगी तथा उसके द्वारा अब तक जो राशि उक्त आराजी में व्यय की गई है तथा जो समय समय पर समय श्रम एवं परिश्रम लगाये है, उनका भी कोई आधार या औचित्य ही नहीं रह जायेगा तथा उसे उक्त आराजी का जो प्रतिफल प्रदान किया जायेगा, वह भी पूर्णतया नगण्य रहेगा। इसे देखते हुए उत्तरकर्ता अप्रार्थी को काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में संभव ही नहीं रह जायेगी। इसे देखते हुए भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित है। कानूनन उक्त वर्णित प्रावधान केवलमात्र उसी व्यक्ति पर लागू होते है जिसे वास्तविकता में रास्ते की आवश्यकता चली आ रही हो तथा उसके पास कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो। जबकि प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तथा प्रार्थीया उसी रास्ते से ही आ जा सकती है। इस कारण भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अपने आपमें ही गलत एवं झूठा प्रमाणित हो जाता है। अतः सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। प्रार्थीया के पक्ष में इस पद में वर्णित तौर पर कोई प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित नहीं होता है। जैसा कि उपर लिखा जा चुका है, उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि में से प्रार्थीया का किसी तरह का कोई आन जान ही नहीं रहा है, ना कानूनन हो ही सकता है। जब प्रार्थीया का कोई आन जान ही नहीं रहा है तो उसमें आने जाने से रोकने तथा कोई बाधा उत्पन्न करने का कथन ही अपने आपमें गलत एवं झूठा प्रमाणित हो जाता है।

11. निवेदन किया कि प्रार्थीया को अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता नहीं दिलाये जाने की अवस्था मे प्रार्थीया को लेशमात्र भी कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि उसके पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। इसके विपरित प्रार्थीया को उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिलाये जाने की अवस्था में उत्तरकर्ता अप्रार्थी के पास कोई भूमि ही नहीं रह जायेगी तथा उसके द्वारा जो अब तक अपने हक हिस्से की आराजी में काफी समय श्रम एवं धनराशि व्यय कर उसमें विकास एवं विस्तार के कार्य करवाये है उनका कोई आधार या ओचित्य ही नहीं रह जायेगा तथा उसे उक्त रास्ते की एवज में डीएलसी दर से जो प्रतिफल दिलाया जायेगा, वह भी पूर्णतया नगण्य एवं शून्य ही रहेगा। क्योंकि उत्तरकर्ता अप्रार्थी के हक हिस्से की आराजी काफी अधिक कीमती चली आ रही है। उक्त परिस्थितियों में उत्तरकर्ता अप्रार्थी के पास कोई भूमि नहीं रह जाने से उसे काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी अवस्था में संभव ही नहीं रह जायेगी। इसे देखते हुए भी प्रार्थीया को कानूनन कोई रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी गौरतलब है कि प्रार्थीया की भूमि के अन्य तरफ अन्य खातेदारों की भूमियां विद्यमान चली आ रही है, यदि कोई रास्ते की आवश्यकता होती तो अकेली प्रार्थीया को नहीं होकर सभी खातेदारान को आवश्यकता होती तथा उक्त प्रकरण भी सभी खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया जाता। जबकि उक्त प्रकरण केवलमात्र प्रार्थीया द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इससे ही यह साफ जाहिर हो जाता है कि प्रार्थीया को तथाकथित रूप से किसी भी रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं रही है तथा उक्त प्रकरण पूर्णतया झूठा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया के पक्ष में इस पद में वर्णित तौर पर कोई सुविधा का संतुलन अथवा अशोधनीय क्षति होने का भी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

12. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थी नंबर 11 को धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र नहीं दिया है जो कि दिया जाना आवश्यक एवं बंधनकारी प्रावधान है अतः विधिक प्रावधानों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया को इस पद में वर्णित तौर पर दिनांक 15/01/2024 को अथवा कभी भी मौजूदा प्रकरण बाबत कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः बिना वाय हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं रह जाने से सव्यय निरस्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने अप्रार्थी नंबर 11 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस दिये बिना प्रकरण प्रस्तुति बाबत माननीय न्यायालय से विधि अनुसार अनुमति प्राप्त नहीं की है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

13. अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में यह गौरतलब है कि प्रार्थीया ने जिस भूमि को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रार्थीया को अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वार आवंटित की गई है तथा उक्त भूमि अभी तक राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज ही नहीं है, बल्कि गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थीया को यदि अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है (जबकि उसके पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है) तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अलॉटमेंट अधिकारी के समक्ष रास्ता दिलाये जाने हेतु आवेदन कर सकती है तथा उसके लिये उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया को आवंटित्त शुदा भूमि पर आज दिवस तक प्रार्थीया का कोई कब्जा ही नहीं है, ना ही उसने कभी इसका कोई उपयोग उपभोग ही किया है। अतः तथाकथित काल्पनिक रूप से कोई रास्ता रोकने तथा आने जाने में बाधा उत्पन्न करने का कथन भी अपने आपमें झूठा प्रमाणित हो जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थीया के हक में मौजूदा प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी वाद कारण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र उत्तरकर्ता अप्रार्थी के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे तथा उत्तरकर्ता अप्रार्थी को विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय भी दिलाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

14. स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने जिस भूमि को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रार्थीया को अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है तथा उक्त भूमि अभी तक राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज ही नहीं है, बल्कि गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थीया को यदि अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है (जबकि उसके पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है) तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अलॉटमेंट अधिकारी के समक्ष रास्ता दिलाये जाने हेतु आवेदन कर सकती है तथा उसके लिये उत्तरकर्ता अप्रार्थी की भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया को आवंटितशुदा भूमि पर आज दिवस तक प्रार्थीया का कोई कब्जा ही नहीं है, ना ही उसने कभी इसका कोई उपयोग उपभोग ही किया है। अतः तथाकथित काल्पनिक रूप से कोई रास्ता रोकने तथा आने जाने में बाधा उत्पन्न करने का कथन भी अपने आपमें झूठा प्रमाणित हो जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया के हक में मौजूदा प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी वाद कारण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया ने मोजूदा प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही प्रार्थना पत्र के साथ अपना पंजीबद्ध पता ही प्रस्तुत किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र भी विधि अनुसार हस्ताक्षरित व सत्यापित नहीं है तथा उक्त शपथपत्र कानूनन साक्ष्य में ग्राहय नहीं है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। निषेधाज्ञा एक ऐसा साम्यिक अनुतोष है कि जिसे वही व्यक्ति न्यायालय से प्राप्त कर सकता है कि जो न केवल सही एवं सत्य तथ्यों सहित वरन् तुरन्त ही न्यायालय में उपस्थित हो गया हो, किंतु प्रार्थीया सर्वथा ही गलत एवं झूठे तथ्यों सहित न्यायालय में उपस्थित आई है वरन् वह देरी एवं गफलत की भी दोषी है अतः प्रार्थीया कोई भी अनुतोष किसी भी आशय का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया ने मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत एवं झूठा उत्तरकर्ता अप्रार्थी को हैरान तंग परेशान करने एवं खर्च से जेरबार करने की स्पष्ट बदनियति से प्रस्तुत किया है जिसका कि मजबूरन उत्तरकर्ता अप्रार्थी को प्रतिकार करना पडा है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर मय हर्जे व खर्चे निरस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

होने योग्य है तथा उत्तरकर्ता अप्रार्थी प्रार्थीया से विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय प्राप्ति का भी अधिकारी है।

15. मूल प्रार्थना पत्र 251—क के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योकि विधिक प्रावधानों मे दावे के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, परन्तु प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए विधिक त्रुटि के कारण उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे के साथ खारीज किया जाना उचित है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र उत्तरकर्ता अप्रार्थी के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे तथा उत्तरकर्ता अप्रार्थी को विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय भी दिलाया जावे।

16. तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम वाडा वावडी के खसरा नम्बर 5779/128 श्रीमती मोहनकुंवर पत्नी मदनसिंह के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीया को उक्त भूमि पर आने जाने हेतू वर्तमान में मौके पर बिलानाम रास्ता खसरा नम्बर 126 एवं 205 को जोड़ने वाले खसरा 144, 145, 127 में से गुजरता हुआ कच्चे रास्ते के रूप में रास्ता उपलब्ध है। जो वर्तमान में आवागमन हेतू चालू है। खसरा नम्बर 144 एवं 145 खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 127 चारागाह भूमि है। यह है कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 144 के मध्य भू भाग की तरफ 15 फीट का रास्ता अपनी भूमि खसरा नम्बर 5779/128 में जाने हेतू 15 फीट चौड़ा रास्ते के लिए कायम किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीया द्वारा खसरा 144 में चाहा गया न्यूनतम दूरी का रास्ता 15 फीट चौडा एवं 7 मीटर लम्बा है। जिसका कुल क्षेत्रफल 320 वर्गमीटर है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ते की भूमि किस्म बजंड होकर असिंचित है एवं सड़क से लगी हुई है। जिसकी डी.एल.सी दर 758839 रूपये प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते की कुल कीमत 24283 रूपये है।

17. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2, 6, 8, 9/1 से 9/3 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने मौजूदा प्रकरण अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिलाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, वह पूर्णतया गलत, मनगढंत, आधारहीन एवं झूठे तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रार्थी कानूनन भी अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु किसी तरह का कोई रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी ही नहीं है। प्रार्थीया ने जिस वादग्रस्त आराजीयात को अपनी खाते[illegible]राजियात होना बतलाया गया है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा है, ना आज ही है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण अर्जुनसिंह, उदयसिंह, चन्दनसिंह, सज्जनसिंह, कुबेरसिंह, मानसिंह, लालसिंह व अन्य का ही पूर्वजो के समय से अनवरत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त अप्रार्थीगण ही उक्त आराजीयात का खुल्लमखुल्ला रूप से बिना किसी बाधा एवं रूकावट के उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः जब प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा ही नहीं है तो किसी तरह का कोई आन जान अथवा रास्ता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तथा वह उक्त प्रकरण की आड में वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश कर उस पर जबरन कब्जा करते हुए उसे हडपना चाहती है। उक्त अप्रार्थीगण अपनी आराजीयात में से प्रारंभ से ही अपने निजी रास्ते से आते जाते एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस कारण नये रास्ते की कत्तई कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, मावली द्वारा दिनांक 20/09/2023 को जो मौका पर्चा रिपोर्ट मंगाई गई थी, उसमें भी उक्त अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होना पाया गया था तथा प्रार्थीया का मौके पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं होना पाया गया था। संबंधित हल्का पटवारी, हल्का जावड द्वारा इस आशय की मौका रिपोर्ट बनाई गई थी, जो माननीय न्यायालय में तलब करवाई जाकर अवलोकन किया जाना आवश्यक है एवं प्रार्थीयां को एलोटमेन्ट अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण किया जाना चाहिये जिसके लिये प्रार्थीयां द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीया का किसी भी अप्रार्थी की भूमि से किसी तरह का कभी भी कोई आन जान नहीं रहा है। प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तथा प्रार्थीयां उसी रास्ते से ही प्रारंभ से ही आ जा सकती है। प्रार्थीया के पास चूंकि पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थीया अब कानूनन कोई अन्य रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि खसरा नंबर 144 में सुरक्षा की दृष्टि से तारबंदी कर रखी है तथा उसके मध्य में से अथवा किसी भी भाग से कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, ना ही पूर्व मे ही कभी कोई रास्ता रहा है। वास्तविकता में भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में आन जान प्रारंभ से ही उत्तरी दिशा से ही चला आ रहा है। जब भूमि खसरा नंबर 144 में कोई रास्ता ही नहीं है तो वाहन या अन्य कोई संसाधन लाने व ले जाने का भी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वास्तविकता मे प्रार्थीया को उक्त भूमि अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है जो प्रार्थीया के नाम गैरखातेदारी मे दर्ज [illegible] रहा है तथा उसका आज दिवस तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर किसी तरह का कोई कब्जा ही नहीं है। इस कारण भी आन जान के कथन स्वयं ही गलत एवं झूठे प्रमाणित हो जाते है। प्रार्थीया ने जो नजरी नक्शा बनाकर दर्शाया गया है, वह प्रार्थीया ने अपनी मनमर्जी अनुसार बनाकर प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर माननीय न्यायालय कोई भरोसा नहीं कर सकती है। उक्त तथाकथित नजरी नक्शे में भी जो रास्ता दिखलाया गया है, वह प्रार्थीया की काल्पनिक सोच के आधार पर बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थीया के पास जब पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उत्तर दिशा में विद्यमान चला आ रहा है तथा प्रार्थीया उत्तर दिशा से ही आ जा सकती है तथा अपने वाहन व संसाधन ला व ले जा सकती है। जब किसी भी अप्रार्थी की भूमि में कोई रास्ता ही नहीं है तो तथाकथित किसी अनाधिकार रूप से या जोर जबरदस्ती से रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया द्वारा जिस प्रकार से कथन वर्णित किये गये है, उस अनुसरण में कोई रास्ता नहीं रोका गया है, ना ही उसकी कोई संभावना ही है। प्रार्थीया का ना तो कोई रास्ता अवरूद्ध हुआ है, ना ही कोई आन जान बंद या बाधित हुआ है। वास्तविकता में किसी तरह का कोई आन जान ही नहीं है। प्रार्थीया अपनी भूमि में अपने वैकल्पिक रास्ते से ही आ जा सकती है तथा उसमे किसी तरह की कोई कमी या न्यूनता नहीं आई है, ना ही प्रार्थीया को कोई आर्थिक क्षति ही उठानी पड़ रही है। प्रार्थीया बार बार काल्पनिक रूप से रास्ता होना बतलाते हुए अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहती है तथा अपना कोई कब्जा नहीं होते हुए मौके पर जबरन कब्जा करना चाहती है। जबकि कानूनन भी प्रार्थीया को किसी भी अप्रार्थी की भूमि से कोई रास्ता नहीं दिलाया जा सकता है, ना ही ऐसा किया जाना न्यायोचित ही है। इसके अतिरिक्त भी चूंकि प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तो कानूनन भी उसे कोई अन्य रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नहीं रह जाता है।

18. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने अपने हक हिस्से की आराजी में समय समय पर अथक मेहनत, परिश्रम, समय एवं धनराशि व्यय कर उक्त आराजियात में काफी विकास एवं विस्तार के कार्य करवाये है तथा उसमें से कंकर पत्थर आदि निकालकर समतल करवाया तथा उसमें उच्च किस्म के खाद बीज इत्यादि डलवाये। अप्रार्थीगण के प्रयासों की वजह से उक्त आराजी काफी अधिक कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लगातार चली आ रही महंगाई की वजह से भी उक्त आराजी काफी अधिक कीमती हो चुकी है। प्रार्थीया को तथाकथित रूप से अनावश्यक होने के बावजूद रास्ता दिलाया जाता है तो अप्रार्थीगण अपने हक हिस्से की आराजी से ही वंचित हो जायेंगे तथा उनके पास उक्त आराजी ही नहीं रह जायेगी तथा उनको अब तक जो राशि उक्त आराजी में व्यय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

की गई है तथा जो समय समय पर समय श्रम एवं परिश्रम लगाये है, उनका भी कोई आधार या औचित्य ही नहीं रह जायेगा तथा उसे उक्त आराजी का जो प्रतिफल प्रदान किया जायेगा, वह भी पूर्णतया नगण्य रहेगा। इसे देखते हुए अप्रार्थीगण को काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में संभव ही नहीं रह जायेगी। इसे देखते हुए भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया द्वारा जिस विधिक प्रावधान का जिक्र अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है, उक्त वर्णित प्रावधान केवलमात्र उसी व्यक्ति पर लागू होते है जिसे वास्तविकता में रास्ते की आवश्यकता चली आ रही हो तथा उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो। जबकि प्रार्थीया के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है तथा प्रार्थीया उसी रास्ते से ही आ जा सकती है। इस कारण भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है।

19. यह कि प्रार्थीया के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रार्थीया का किसी तरह का कोई आन जान ही नहीं रहा है, ना कानूनन हो ही सकता है। जब प्रार्थीया का कोई आन जान ही नहीं रहा है तो उसमें आने जाने से रोकने तथा कोई बाधा उत्पन्न करने का कथन ही अपने आपमें गलत एवं झूठा प्रमाणित हो जाता है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता नहीं दिलाये जाने की अवस्था मे प्रार्थीया को लेशमात्र भी कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि उसके पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है। इसके विपरित प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिलाये जाने की अवस्था में अप्रार्थीगण के पास कोई भूमि ही नहीं रह जायेगी तथा उनके द्वारा जो अब तक अपने हक हिस्से की आराजी में काफी समय श्रम एवं धनराशि व्यय कर उसमें विकास एवं विस्तार के कार्य करवाये है उनका कोई आधार या ओचित्य ही नहीं रह जायेगा तथा उसे उक्त रास्ते की एवज में डीएलसी दर से जो प्रतिफल दिलाया जायेगा, वह भी पूर्णतया नगण्य एवं शून्य ही रहेगा। क्योंकि अप्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी काफी अधिक कीमती चली आ रही है। उक्त परिस्थितियों में अप्रार्थीगण के पास कोई भूमि नहीं रह जाने से उन्हें काफी असहनीय, अपूर्णीय एवं अपरिमित क्षति कारित होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी अवस्था में संभव ही नही रह जायेगी। इसे देखते हुए भी प्रार्थीया को कानूनन कोई रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित नहीं रह जाता है। यह कि इसके अतिरिक्त यहां यह भी गौरतलब है कि प्रार्थीया की भूमि के अन्य तरफ अन्य खातेदारों की भूमियां विद्यमान चली आ रही है, यदि कोई रास्ते की आवश्यकता होती तो अकेली प्रार्थीया को नहीं होकर सभी खातेदारान को आवश्यकता होती तथा उक्त प्रकरण भी सभी खातेदारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत किया जाता। जबकि उक्त प्रकरण केवलमात्र प्रार्थीया द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इससे ही यह साफ जाहिर हो जाता है कि प्रार्थीया को तथाकथित रूप से किसी भी रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं रही है तथा उक्त प्रकरण पूर्णतया झूठा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन अथवा अशोधनीय क्षति होने का भी कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया ने जिस भूमि को आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रार्थीया को अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है तथा उक्त भूमि अभी तक राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज ही नहीं है, बल्कि गैर खातेदार की हैसियत से दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थीया को यदि अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है (जबकि उसके पास पूर्व से रास्ता उपलब्ध चला आ रहा है) तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अलॉटमेंट अधिकारी के समक्ष रास्ता दिलाये जाने हेतु आवेदन कर सकती है तथा उसके लिये अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है। एवं विधि द्वारा दिये गये प्रावधानों में कोई खातेदार ही रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रास्ता क्लेम कर सकता है न की गैर खातेदार जिस आधार पर भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारीज योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया को आवंटितशुदा भूमि पर आज दिवस तक प्रार्थीया का कोई कब्जा ही नहीं है, ना ही उसने कभी इसका कोई उपयोग उपभोग ही किया है। अतः तथाकथित काल्पनिक रूप से कोई रास्ता रोकने तथा आने जाने में बाधा उत्पन्न करने का कथन भी अपने आपमें झूठा प्रमाणित हो जाता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है।

20. यह कि प्रार्थीया के हक में मौजूदा प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी वाद कारण कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है अतः बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए लाया गया प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया ने मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत एवं झूठा अप्रार्थीगण को हैरान तंग परेशान करने एवं खर्चे से जेरबार करने की स्पष्ट बदनियति से प्रस्तुत किया है जिसका कि मजबूरन अप्रार्थीगण को प्रतिकार करना पड़ा है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर मय हर्जे व खर्चे निरस्त होने योग्य है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीया से विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय प्राप्ति के भी अधिकारी है। उपरोक्त कारणों से लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना तथा अप्रार्थीगण को विशेष हर्जा खर्चा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की लिखित बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय भी दिलाया जावे।

21. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 346 पर दर्ज आराजी नम्बर 5579/128 रकबा 2.1000 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम गैर खातेदारी अधिकार से दर्ज है। बिलानाम रास्ता एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य विपक्षीगण की आराजी नम्बर 144 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रिकोर्डेड रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षीगण की आराजी नम्बर 144 में से होकर जाता हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार निकटतम तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी नम्बर 144 रकबा 3.0028 हेक्टेयर में से 0.0320 हेक्टेयर अर्थात 320 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त होने वाली विपक्षीगण की भूमि का कुल रकबा 320 वर्गमीटर भू[illegible] की वर्तमान डीएलसी दर 7,58,839/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested

रूपये अक्षरे सात लाख अठावन हजार आठ सौ उन्नचालीस रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित भूमि का मुल्यांकन 24,283/– रू. बनना बताया है। डीएलसी की दुगुनी दर से जमा योग्य राशि 48,566/– रूपये बनता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तहसील घासा की आराजी नम्बर 144 रकबा 3.0028 हेक्टेयर भूमि में से 0.0320 हेक्टेयर भूमि अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 320 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 24,283/– का दुगुना 48,566/– रूपयें अक्षरे अड़तालिस हजार पांच सौ छासठ रूपयें राशि प्रार्थीया से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 9/3/खातेदारो को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। विपक्षीगण द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगी। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested